

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 1(1) 13/कार्मिक-राज/प्रमुवसं/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

कार्मिक (क-1) विभाग राजस्थान, जयपुर की आज्ञा क्रमांक प0 5 (3) कार्मिक/क-1/2014 दिनांक 03.03.2014 द्वारा भारतीय वन सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गये हैं। इस संबंध में ज्ञात हुआ है कि कुछ अधिकारी पृथक से Movement orders की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में एतद् द्वारा आपका ध्यान इस विषय में पूर्व में समय-समय पर जारी निर्देशों की ओर आकृष्ट कर पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक विभाग द्वारा स्थानान्तरण आदेश प्रसारित होने के उपरान्त कोई Movement orders जारी नहीं किए जाते हैं। समस्त अधिकारी तत्काल कार्मिक विभाग के आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई असंमजस हो तो अपने नियंत्रण अधिकारी की राय अनुसार चार्ज संभला कर तत्काल नव पदस्थापन स्थान पर प्रस्थान कर, इस कार्यालय को सूचित करें। इसे गंभीरता से लें।

(राहुल कुमार)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 1(1) 13/कार्मिक-राज/प्रमुवसं/ 1302 - 1362 दिनांक : 4/3/14
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (टी0आर0ई0ई0) राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक, आर0एफ0बी0पी0 II, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/भरतपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/जयपुर।
8. समस्त संबंधित अधिकारी
9. रक्षित पत्रावली।

Shilpa

(शिखा मेहरा)

मुख्य वन संरक्षक, (संस्थापन),

राजस्थान, जयपुर